प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 10.01.2026

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी की शिकार हुई पीड़िता को साइबर सेल थाना धनघटा पुलिस टीम ने 06 घण्टे में दिलाई राहत, वापस कराई गई धनराशि

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना धनघटा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए 01 युवती के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 17999 /- रुपया वापस कराया गया तथा 36000 रूपये बैंक के माध्यम से होल्ड करा दिया गया है, जिसे शीघ्र ही रिकवर करा दिया जायेगा। थाना धनघटा साइबर टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए मामलें में पीड़िता के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाली गई धनराशि को साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से संबंधित बैंक/आनलाइन शापिंग प्लेटफार्म से समन्वय स्थापित कर कुल 17999/- रु0 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

घटना का संछिप्त विवरण– दिनांक 09.01.2026 को समय करीब सायं 06.00 बजे पीड़िता द्वारा थाना धनघटा के साइबर सेल में आकर सूचना दिया गया कि एक फ्राडर द्वारा मेरे पिता का दोस्त बनकर बोला कि आपके पिता द्वारा कहा है कि मेरी बेटी के खाते में पैसा भेजकर दूसरे के खाते में ट्रांसफर करवा लीजिएगा, इस तरह का झांसा देकर ट्रांजेक्शन का फर्जी मैसेज पीड़िता के मोबाइल पर भेजा तथा पीड़िता से उक्त पैसे दूसरे खाता में ट्रांसफर करने के लिए बताया गया, जिसपर पीड़िता झांसे में आकर कुल 54000 रुपया ट्रांसफर कर दी, जबकि पीड़िता के खाते में कोई पैसा आया नही। इस सूचना पर तत्काल साइबर सेल थाना धनघटा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 06 घण्टे के अन्दर पीड़िता से किये गये फ्राड के पैसे में से 17999 /- रुपया वापस कराया गया तथा 36000 रूपये होल्ड करा दिया गया, जिसको नियमानुसार पीड़िता के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया की जा रही है। इस पर पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा थाना धनघटा पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

रिकवर/होल्ड कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जय प्रकाश दूबे, नि0 अपराध श्री रामेश्वर यादव, का0 इन्द्रजीत प्रजापति।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड शत प्रतिशत कुल 25000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना दुधारा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड शत प्रतिशत कुल 25000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

पीड़ित फजल रसूल निवासी भंगुरा अहिरानी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के द्वारा NCRP PORTAL पर 25000 रुपये फ्राड होने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसपर थाना दुधारा के साइबर सेल टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित से किये गये फ्राड के सम्पूर्ण 25000 रु0 को शत प्रतिशत धनराशि वापस कराया गया। इस पर पीड़ित द्वारा जनपद संतकबीरनगर पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, का0 ऋषिकेश यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 0016/2026 धारा 108/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V, 3(2) V(a) एससी/एसटी एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज विश्वकर्मा पुत्र रंगीलाल साकिन जोगीडिहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जोगीडीहा गांव के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 09.01.2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना बखिरा पर वादी की बहू द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनाँक 10.01.2026 को कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 अरविन्द चौहान, हे0का0 आदित्य यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 110 वाहनों से 1,10,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 110 वाहनों से 1,10,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना महुली पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 482/25 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र ईश्वरचन्द निवासी सोनाड़ी हैसर थाना धनघटा जनपद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.01.2026 को सरैया पाइपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 18.12.2025 को थाना महुली पर वादिनी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.01.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, का0 अरविन्द यादव, म0का0 पूजा चौहान।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण
पीड़ित रामअनुज मौर्य पुत्र श्रीराम मौर्य निवासी निवासी जंगलऊन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के 99999 रुपये, 50000 रुपये HDFC क्रेडिट कार्ड से व UPI के माध्यम से 48500 रुपये का फ्राड हुआ था। पीड़ित 01 घण्टे के अंदर थाना कोतवाली खलीलाबाद के साइबर हेल्प डेस्क पर पहुंचकर शिकायत कराया गया था। थाना कोतवाली के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए HDFC क्रेडिट कार्ड से हुए फ्राड को तुरंत ब्लाक करवा गया। जिसके उपरांत पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से हुए फ्राड कुल 1,50,000 रुपये वापस आ गये तथा NCRP PORTAL पर 48,500 रुपये फ्राड होने की शिकायत दर्ज की गयी, जिसके उपरांत NCRP PORTAL के द्वारा कुल 48,500 रुपये का होल्ड लगाया गया। संम्पूर्ण कार्यवही के दौरान पीड़ित से किये गये सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई गयी। इस पर पीड़ित द्वारा जनपद संतकबीरनगर पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।
रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर आ0 रमापति, का0 पवन, म0का0 शिवागी, म0का0 रीता।